न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 77/2024 G.C.M.S. No. 2024/459 दर्ज दिनांक : 08.10.2024

अपीलार्थिगण:

1. मृत सत्यप्रकाश पुत्र खेतारामजी जाति गुजर गौड ब्राह्मण के कायम मुकाम–
   1/1 विजयलक्ष्मी पत्नि स्व. सत्यप्रकाशजी
   1/2 उमेद जोशी पुत्र सत्यप्रकाशजी जातिगण गुजर गौड ब्राह्मण, निवासी शक्तिनगर गली नंबर 3 पावटा सी रोड़, जोधपुर।
   1/3 विनिता जोशी पुत्री सत्यप्रकाशजी पत्नि अमृतलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी डगर चौक, रावत भवन के पास नागौरी गेट, जोधपुर।
   1/4 शारदा उपाध्याय पुत्री सत्यप्रकाशजी पत्नि रमेश उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नंबर 70 बी, महावीर नगर, तीसरा पोल ओ/एस महामंदिर जोधपुर कचेरी
   1/5 हेमलता शर्मा पुत्री सत्यप्रकाशजी पत्नि आशीष शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 34 महादेव नगर, वार्ड नंबर 59, जोधपुर।
   1/6 चेतना शर्मा पुत्री सत्यप्रकाशजी जाति ब्राह्मण निवासी शक्तिनगर गली नंबर 3, पावटा सी रोड़, जोधपुर
   1/7 मधु शर्मा पुत्री सत्यप्रकाशजी जाति ब्राह्मण निवासी शक्तिनगर गली नंबर 3, पावटा सी रोड़, जोधपुर
2. रामेश्वर पुत्र खेतारामजी जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी 98, रामनगर, पहली गली, पाली।
3. घनश्याम पुत्र खेतारामजी जाति गुर्जर गोड ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 1062, 7 वी गली, पावटा सी रोड, जोधपुर।
4. मिश्रीलाल पुत्र दीपारामजी उर्फ दीपचंद्रजी जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी 72 ब्राह्मण का बास, बडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
5. बाबुलाल पुत्र दीपाराम शर्मा जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का बास, बडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
6. नरेश कुमार पुत्र महेशचन्द्र शर्मा जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी 12, शिव शक्तिनगर, गली नंबर 4, तीसरी पोल, महामंदिर, जोधपुर।
7. चंपालाल पुत्र जगन्नाथजी जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का बास, बडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गोविंदराम पुत्र जुगलकिशोर जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी ई. 12, ब्रह्मपुरी सोसायटी बाले, सोलापुर नॉर्थ, महाराष्ट्र
2. नवनीत पुत्र जुगलकिशोर जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी 196, बुधवार पेठ, सम्राट चौक, सोलापुर, महाराष्ट्र
3. माधुरी पुत्री जुगलकिशोर, जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का बास, बडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल 141, वार्ड नंबर 1, पुराना टी.एम.सी. रोड़, बालकी वॉटर इलकाल, भागलकोट, कर्नाटक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राधिका गोविंद जोशी निवासी ई 12, ब्रह्मपुरी सोसायटी, श्रद्धा एलीगेंस बाले, सोलापुर, महाराष्ट्र

4. मृत सुरजकंवर पत्नि जुगलकिशोर, जाति गुर्जर गौड ब्राह्मण (फौत, विलोपित)
5. देवीसिंह पुत्र तखतसिंह जाति राजपूत, निवासी बडगांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (प्रफॉर्मा रेस्पोंडेंट)
6. तहसीलदार भूमिधारक मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 00243/2016 बअनवान गोविंदराम वगैरह बनाम सत्यप्रकाश वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री कुलदीप शर्मा, विद्वान अभिभाषक एवं राधिका गोविंद जोशी, पॉवर ऑफ अटॉनी धारक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांकः 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 00243/2016 बअनवान गोविंदराम वगैरह बनाम सत्यप्रकाश वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट्स व अन्य रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 53, 183, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीन न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम बडी पटवार हल्का चिरपटिया के वर्तमान खसरा संख्या 161, 200, 201, 204 व 492 जिसके भूप्रबंध पूर्व के खसरा नंबर क्रमशः 132 मीन, 130 मीन, 131 मीन, 132 मीन व 294 थें। उपरोक्त गत खसरान की भूमि में उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा व पन्नालाल पुत्र सूरजमल का 1/2 हिस्सा था। उमाशंकर की लाऔलाद मृत्यु होने पर प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नहीं होने से उसका आधा हिस्सा उसके भाई के पुत्र पन्नालाल एवं जुगलकिशोर में न्यागत हो गया। लेकिन इस बाबत म्यूटेशन संख्या 53 दिनांक 25.12.1978 द्वारा केवल पन्नालाल का नाम ही दर्ज किया। जुगलकिशोर का नाम नहीं दर्ज किया गया। उक्त म्यूटेशन एवं उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुचित व विधिविरूद्ध है। जुगलकिशोर का देहांत दिनांक 25.11.2014 को सोलापुर में होना बताया। यह भी बताया कि पन्नालाल ने 161 की भूमि दिनांक 22.07.1980 को अपीलांट संख्या 7 चंपालाल को विक्रय कर दी तथा शेष जमीन पन्नालाल ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 को दिनांक 25.07.1980 को विक्रय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर दी। उक्त दोनों विक्रय पत्र जुगलकिशोर के 1/4 हिस्से तक शून्य व निष्प्रभावी है। इत्यादि पर वादपत्र दिनांक 01.08.2016 को दर्ज किया गया। जो तलबी में सही पता पेश करने हेतु चलता रहा। पेशी दिनांक 06.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादी की तलबी हेतु पत्रावली लंबित रही। अधीन न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के विपरीत की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के अलावा शेष प्रतिवादी के सम्मन कभी सही पते पर पेश नहीं किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कई वर्षों से ग्राम बड़ी में नहीं रहते हैं। लेकिन जानबूझकर ग्राम बड़ी के पते पर सम्मन भेजे गए। प्रतिवादी सत्यप्रकाश तथा उसके सभी वारिसान ग्राम बड़ी में नहीं रहकर जोधपुर में अपील अनवान में दर्ज पते पर निवास करते हैं। जिसकी जानकारी वादीगण को होने के बावजूद गलत रूप से ग्राम बड़ी के पते पर सम्मन भेजे गए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र उम्मेद तथा पुत्रियां अपीलांट संख्या 1/3 से 1/7 को जानबूझकर कायम मुकाम नहीं बनाया गया। आदेशिका दिनांक 02.09.2024 द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध ही एकपक्षीय कार्यवाही आदेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध कभी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी संखय 1 के कायम मुकाम को कभी भी रेकॉर्ड पर नहीं लिया गया। फिर भी एकपक्षीय कार्यवाही कर कानूनन भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिनुसार तामील करवाए बिना तथा जवाबदावा, साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो निरस्त योग्य है। जैर अपील निर्णय में धारा 183 बाबत कोई तथ्य व फाईंडिंग तथा अनुतोष नहीं दिया है। जबकि वादी द्वारा धारा 183 के अंतर्गत अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में जब तक कब्जा प्राप्ति बाबत अनुतोष नहीं दिया जाता, तब तक खातेदारी घोषणा व विभाजन की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा बाबत अनुतोष चाहा तथा साक्ष्य शपथ पत्र में भी 1/4 हिस्से का ही अंकन किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर दी। जो अवैध व शून्य होने से काबिल अपास्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर राधिका गोविंद जोशी द्वारा प्रस्तुत लिखित

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

बहस का अवलोकन एवं मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए–

1. 2013 (1) RRT 188
2. 2013 (1) RRT 190
3. 2014 DNJ (Revenue) 401
4. 2014 DNJ (Revenue) 403
5. 2000-01 DNJ (Raj.) (Suppl.) 244
6. 2016 (4) DNJ 204

हमने उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 183, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2024 द्वारा स्वीकार किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत हस्तगत अपील डिक्री पर्चा के बिना प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि चूंकि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188, 183 व 92ए के अंतर्गत वादपत्र है, जिसके अंतर्गत डिक्री पर्चा जारी किया जाना आवश्यक है तथा ऐसे वादपत्रों के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत ही पोषणीय होती हैं। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक से पर्चा डिक्री जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के क्रियात्मक भाग को पर्चा डिक्री मानते हुए अपीलांट्स को बिना पर्चा डिक्री के अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 क्रमशः अपीलांट संख्या 5 व रेस्पोंडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली जवाबदावा में नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिए बिना, जवाबदावा बंद किए बिना/एकपक्षीय कार्यवाही किए बिना तथा अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

को वादी के गवाहों से जिरह का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

4. विचारण न्यायालय एवं अपील मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यप्रकाश फौत हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी के सभी कायम मुकाम को संयोजित किए बिना तथा संशोधित शीर्षक प्राप्त किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

5. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष चाहा गया था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष से अधिक 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की साक्ष्य, विधिक प्रावधानों आदि का विवेचन व कारण दर्शित नहीं किया है।

6. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ–साथ बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली व कब्जा दिलाने बाबत अनुतोष भी चाहा गया है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त अनुतोष के संबंध में किसी प्रकार का विवेचन व अभिमत प्रकट नहीं किया है तथा न ही किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया है तथा न ही ऐसा अनुतोष प्रदान नहीं किए जाने का कोई अंकन व इसका कारण दर्शित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत वादपत्रों का निर्णयन व्यवहार प्रक्रिया संहिता व राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ही किया जा सकता है। प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो सभी प्रतिवादीगण एवं मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान की समुचित तामील करवाई हैं एवं न ही विधिक रूप से अनुपस्थित पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई हैं एवं न ही जवाबदावा आदि प्राप्त किया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक एवं न्यायिक दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना विधिविरूद्ध, यांत्रिक एवं मनमुखी रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित करने से अपीलाधीन निर्णय स्वीकार एवं पुष्टि योग्य नहीं होने से एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विधिनुरूप

Scanned with OKEN Scanner

पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 00243/2016 बअनवान गोविंदराम वगैरह बनाम सत्यप्रकाश वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता/पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील–प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner